ऋण की हामीदारी की नीति

1.0 उद्देश्य:

जल्दी वित्तीय बंद करने, परियोजना के कार्यान्वयन और चालू करने को सरल बनाने के लिए पीएफसी परियोजना की कुल ऋण आवश्यकता का उत्तरदायित्व लेगा।

2.0 परियोजना पात्रता मानदंड:

ऋण हामीदारी में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, ट्रांसमिशन और वितरण योजनाओं सहित विद्युत परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा।

3.0 इकाई पात्रता मानदंड:

3.1 इस नीति के अंतर्गत सभी निजी क्षेत्र की इकाइयां पात्र हैं।

3.2 पीएफसी की मौजूदा नीतियों के अंतर्गत पात्र सभी इकाइयों/परियोजनाओं को नीति के अंतर्गत वित्त पोषित किया जाएगा। हालांकि, जहां एकीकृत रेटिंग (आईआर) लागू है, वहां परियोजनाओं के लिए, न्यूनतम आईआर-4 की आवश्यकता होगी।

3.0 निधिकरण की सीमा:

ऋण की हामीदारी की सीमा परियोजना की कुल ऋण आवश्यकता तक होगी बशर्ते पीएफसी के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार एक्सपोजर_ उपलब्ध हो। कुल हामीदारी ऋण को "पीएफसी द्वारा रखा जाने के लिए ऋण" और _बेचने के लिए निर्धारित ऋण’’ में विभक्त किया जाएगा।

4.0प्रतिभूति

पीएफसी नीतिगत दिशानिर्देशों के लागू होने वाले प्रावधानों के साथ नियम में प्रतिभूति की स्थिति को निर्धारित करेगा।

5.0 परियोजना का ऋण इक्विटी अनुपात:

पीएफसी उन परियोजनाओं पर विचार करेगा जिनका ऋण: इक्विटी अनुपात 70:30 होगा। हालांकि, पीएफसी समय-समय पर लागू निगम की वर्तमान नीति के अनुसार उपयुक्त मामलों में उच्च ऋण /इक्विटी अनुपात पर विचार कर सकता है।

6.0 ब्याज दरें:

पीएफसी द्वारा उधार इकाई / प्रमोटर की रेटिंग के अनुसार समय - समय पर उधार दरों को अधिसूचित किया जाएगा।

पीएफसी "पीएफसी द्वारा रखा जाने के लिए ऋण " और " बेचने के लिए निर्धारित ऋण" के लिए अलग ब्याज दर शुल्क लेगा।

7.0 पुन: निश्चित करना (रीसेट):

मौजूदा नीति के अनुसार, लंबी अवधि के लिए रुपया सावधि ऋण (RTLS) हेतु उधारकर्ता के पास ऋण लेने के लिए 3 साल या 10 साल रीसेट के साथ ब्याज दरों का विकल्प है। पीएफसी अपने हिस्से के ऋण के लिए समय-समय पर अधिसूचित रीसेट की अपनी नीति का पालन करेगा।

"बेचने के लिए निर्धारित ऋण" के भाग के लिए अन्य उधारदाता भिन्न ब्याज दरों, रीसेट अवधि/कार्यप्रणाली का प्रस्ताव कर सकता है। तदनुसार अन्य उधारदाताओं को ऋण हस्तांतरण होने पर अन्य उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच पारस्परिक सहमति के अनुसार ब्याज दरें और ब्याज रीसेट को नियंत्रित किया जाएगा।

8.0 हामीदारी शुल्क:

पीएफसी समय - समय पर अधिसूचित हामीदारी शुल्क वसूल करेगा।

9.0 वित्तीय शुल्क और अन्य शुल्क:

उधारकर्ताओं द्वारा समय - समय पर लागू नीतियों के अनुसार वित्तीय प्रभार / शुल्क देय होगा।

10.0 संवितरण प्रक्रिया:

पीएफसी की वर्तमान संवितरण प्रक्रिया के अनुसार संवितरण किया जाएगा। इसके अलावा पीएफसी, पीएफसी के निर्धारित हिस्से और " बेचने के लिए निर्धारित ऋण" से समानुपातिक संवितरण करेगा।

11.0 बेचने का अधिकार:

ऋण के निर्वाह के दौरान पीएफसी को निर्धारित व्यवसाय भाग सहित किसी एक भाग या कुल ऋण को किसी अन्य ऋणदाता को बेचने का अधिकार होगा जो पीएफसी के सहारे के बिना अर्थात पीएफसी के किसी भी उत्तरदायित्व के बिना लेने में रूचि रखते हों।

13.0 अन्य निबंधन एवं शर्तें पीएफसी की लागू नीतियों के अनुसार होगी।